तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं। इंतजार होकर पत्रावली आइंदा 12.01.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	
12.01.23	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 23.01.2023 को पेश हो।	
23.01.23	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 09-02-2023 को पेश हो।	
09.2.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल हो। मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस मौका रिपोर्ट आइंदा 13.2.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	
13.2.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन [illegible] बहस सुनी गई एवं पत्रा[illegible] अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र [illegible] किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.04.13 17:58:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी :—श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—07 / 2022

प्रार्थी::—

मानसिंह पुत्र पहाड़सिंह, कौम राजपूत, निवासी पादरड़ी कला, तहसील सिवाना

—::बनाम::—

विप्रार्थी::—

1. श्रीमती छगनकंवर
2. श्रीमती सूरजकंवर पुत्रियां जुगतसिंह, कौम राजपूत, निवासी बालवाड़ा, तहसील जालौर
3. तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री पूनमचन्द रामदेव वकील प्रार्थी
2. श्री कैलासपुरी वकील विप्रार्थिनी संख्या 1

आदेश दिनांकः— 13.02.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 560 रकबा 4—0631 हैक्टेयर ग्राम पादरड़ीकला तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की पूर्वी सीमा से लगती विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख.स. 698 / 561 रकबा 2—1530 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से गैरमुमकिन कटाण रास्ते ख.सं. 569 तक आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थीनी सं. 1 व 2 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करती हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थिनी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना—पत्र के तथ्यों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी [illegible] हेतु ख.सं. 733 / 559 व 731 / 559 की माठ से होकर लघुतम [illegible] रास्ता पहले से उपलब्ध है, जिससे वह कई वर्षों से [illegible] अपेक्षाकृत लघु एवं निकट दूरी का रास्ता उ[illegible] विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 को अनावश्यक रूप से परेशान करने हेतु उनके खातेदारी [illegible] में से रास्ते की मांग की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे तथा यदि विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 के खेत में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थी के खेत की, उनके खेत की पश्चिमी सीमा से लगती उतनी ही भूमि उनके नाम स्थानांतरित

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.04.13 17:58:47 IST
Reason: SelfAttested

की जावे। जवाब प्रस्तुत करने के बाद शेष पेशी तिथियों पर विप्रार्थिनी संख्या 2 अनुपस्थित रही।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा पादरड़ी कला अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 560 रकबा 4–0631 हैक्टेयर से गैरमुमकिन रास्ता ख.सं. 569 तक आवागमन हेतु विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख.सं. 698/561 रकबा 2–1530 की उत्तरी सीमा पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित 0–0712 हैक्टेयर भूमि, जो ख.सं. 698/561 की उत्तरी सीमा की है, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 को देने हेतु सहमत है।

जबकि विप्रार्थिनी सं. 1 के विद्वान वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के आवागमन के लिए ख.सं. 733/559 व 731/559 की माठ पर रास्ता उपलब्ध है, जिससे प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है। मात्र विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 को परेशान करने के लिए उनके खेत में से रास्ते की मांग की गई है, जो वैकल्पिक रास्ते की विद्यमानता के मद्देनजर काबिल खारिज है, फिर भी यदि रास्ता प्रार्थी के चाहे स्थान से स्वीकृत किया जाता है, तो विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 के नाम उतनी ही भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से कम करके उनकी खातेदारी में दर्ज की जावे और काश्तकारी नियमों के नियम 70(1)(1) के तहत ऐसा स्पष्ट प्रावधान है। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने DNJ(Rev) 2019 पृष्ठ 181 की नजीर प्रस्तुत की। वकील प्रार्थी ने विप्रार्थिनी सं. 1 द्वारा की गई मांग पर आपत्ति व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्त भूमि ही उसके भरण–पोषण का इकलौता स्रोत है। इसमें से भूमि और कम किये जाने से प्रार्थी अपना भरण–पोषण नहीं कर पायेगा। अतः विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 की रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले उन्हें क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सिवाना (बाड़मेर) *

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। यद्यपि तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में खसरा संख्या 698/561 रकबा 2.1530 हैक्टयेर की उत्तरी माठ एवं दक्षिणी माठ से लगते दो रास्ते वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किये है, किन्तु दक्षिणी माठ पर प्रस्तावित रास्ते की स्वीकृति कि स्थिति में विप्रार्थिनी संख्या 1 व 2 की भूमि दो खसरो में विभक्त हो जायेगी और उनकी रहवासी ढाणी प्रस्तावित रास्[illegible] इस प्रकार उक्त रास्ता स्वीकार किया जाना व्यावहारिक दृष्टि से सं[illegible]हीं और प्रार्थी के अपने खातेदारी खेत से गैरमुमकिन रास्ते तक [illegible] 2 के खातेदारी खेत की सीमा में से उत्तरी माठ [illegible]जनक एवं निकटतम रास्ता है। यद्यपि वकील विप्रार्थिनी सं. 1 ने प्रार्थी के [illegible]गमन हेतु ख.सं. 733/559 व 731/559 की संयोजक माठ पर पहले से रास्ता उपलब्ध होने की बात अपने जवाब में लिखी है, किंतु अपने कथन के समर्थन में उन्होंने कोई नक्शा आदि प्रस्तुत नहीं किया है। विप्रार्थिनी सं. 1 के विद्वान वकील ने रास्ता स्वीकृत किये जाने की सूरत में

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.04.13 17:58:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिफल राशि के बजाय उतनी ही भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से कम करके विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया।

जबकि प्रार्थी वकील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर भूमि के बदले भूमि के बजाय विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 को क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है। विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 द्वार प्रस्तुत न्यायदृष्टांत उन परिस्थितियों पर चस्पा होता है, जहां दोनों पक्षों की काश्तकारी अधिनियम के नियम 70(1)(1) के तहत सहमति हो। किंतु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि ही देने हेतु सहमत है। इस प्रकार प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। चूंकि रास्ते में प्रभावित खसरे की DLC दर की दुगुनी राशि दिये जाने का प्रावधान है। और विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 के प्रभावित खसरे की DLC दर 1,66046/– प्रति हैक्टेयर है एवं रास्ते से प्रभावित भूमि का रकबा 0–0712 हैक्टेयर है। अतः विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 को 23,645/– रास्ते की भूमि के बदले में प्रार्थी से दिलाये जाने हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरड़ीकला तहसील सिवाना की ख.सं. 560 रकबा 4–0631 हैक्टेयर से गैर मुमकिन कटाण रास्ता ख.सं. 569 तक आवागमन हेतु विप्रार्थिनी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख.सं. 698/561 रकबा 2–1590 हैक्टेयर की उत्तरी सीमा की तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, जिसकी लम्बाई 88 गट्ठा, चौड़ाई 2 गट्ठा एवं रकबा 0–0712 हैक्टेयर है, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रुपये 23,645/– राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2023/47 दिनांक 10.01.2023 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.04.13 17:58:47 IST
Reason: SelfAttested